अधिकारों का प्रत्यायोजन-- 4

भाग - 2 संशोधित प्रत्यायोजन / प्रशासकीय मामले

क्रमांक	विषय वस्तु	प्राधिकारी	वर्तमान	संशोधित	
			अधिकार	अधिकार	
				\ \ \ \	
1.	स्टेशनरी / डाक			हर मामले में	
	सामग्री, कोरियर तथा	वित्त		रु. 1,00,000	
	तार		50,000	तक	
			तक		
		महाप्रबंधक		हर मामले में	
		/क्षेत्रीय	में रु.	रु. 50,000	
		कार्यालय	30,000	तक	
			तक		
		उप	हर मामले	हर मामले में	
		महाप्रबंधक/	में रु.	रु. 50,000	
		क्षेत्रीय	20,000	तक	
		कार्यालय के	तक		
		विभागाध्यक्ष			
		उपमहाप्रबंधक		हर मामले में	
		(का एवं प्र)		₹. 20,000	
		प्रधान		तक	
		कार्यालय			
2.	कार्यालय में जलने	उप	उपलब्ध नहीं	अपने	
	वाली बिजली, पानी,	महाप्रबंधक		कार्यालयों के	
	टेलीफोन, ब्रॉडबैंड,	(का एवं प्र)		लिये पूर्ण	
	खर्च, प्रासंगिक	प्रधान		अधिकार	
	देनदारियों स्टाफ				
	टेलीफोन खर्च आदि				
	का नियमानुसार				
	भुगतान. व्यापारिक	विभागाध्यक्ष			
	आवश्यकता के				
	अनुसार नये कनेक्शन				
	लेना.				

3.	फर्नीचर, बिजली पानी	निदेशक	हर मामले	हर मामले में	
	के लिये लगा हुआ	वित्त	में रु.	रु. 2,00,000	
	सामान, एयर कूलर /		20,000	तक	
	हीटर, / आई टी का		तक		
	हार्ड तथा सॉफ्टवेअर, /	क्षेत्रीय	उपलब्ध नहीं	अपने	
	कार्यालय के उपकरण	कार्यालयों के		कार्यालयों के	
	तथा उनसे संबंधित	विभागाध्यक्ष		लिये हर	
	सामान.			मामले में रु.	
		and the second second	+ 2 8 4 2 2 2	1,00,000	
				तक	
4.	फर्नीचर, बिजली पानी	निदेशक	उपलब्ध नहीं	हर मामले में	
	के लिये लगा हुआ	वित्त		रु. 1,00,000	
	सामान, एयर क्लर /			तक	
	हीटर, / आई टी का	क्षेत्रीय	उपलब्ध नहीं	हर मामले में	
	हार्ड तथा सॉफ्टवेअर,	कार्यालयों के		रु. 50,000	
	की मरम्मत तथा	विभागाध्यक्ष		तक	
	उनका किराया	/3प			
		महाप्रबंधक (
		का एवं प्र)			
		प्रधान			
		कार्यालय में			
5.	आकस्मिक तथा	निदेशक	हर मामले	हर मामले में	
	विविध खर्च जो किन्हीं	वित्त	में रु.	₹. 1,00,000	
	विशिष्ट मदों के		20,000 तक	तक	
	अंतर्गत न आये हों	दिल्ली क्षेत्रीय	हर मामले	हर मामले में	
		कार्यालय के	में रु.	रु. 75,000	
		प्रमुख	10,000 तक	तक	
		(महाप्रबंधक			
		स्तर)			
		क्षेत्रीय	हर मामले	हर मामले में	
		कार्यालय के	में रु.	रु. 20,000	
		प्रमुख (उप	5,000 तक	तक	
		महाप्रबंधक			
		स्तर)			

	5 \ 6	0)		
6.	निगम के स्वामित्व		उपलब्ध नहा	हर मामले में
	वाली अथवा किराये	वित्त		₹. 1,00,000
	पर ली गई इमारतों /			तक
	प्रतिष्ठानों की देखभाल	दिल्ली क्षेत्रीय	उपलब्ध नहीं	हर मामले में
	अथवा रख रखाव	कार्यालय के		रु. 1,00,000
		प्रमुख		तक
		उप	उपलब्ध नहीं	हर मामले में
		महाप्रबंधक /		रु. 50,000
		क्षेत्रीय		तक
		कार्यालय.		
		चेन्नई तथा		
		कोलकाता		
		क्षेत्रीय		
	t .	कार्यालयों के		
		प्रमुख / उप		
		महाप्रबंधक (
		का एवं प्र)		
		प्रधान		
		कार्यालय में		
7.	कार्यालय के कार्यों के		उपलब्ध नहीं	पूर्ण अधिकार
7.	लिये कार अथवा			, , , , , , ,
	टैक्सी किराये पर लेना			
	टक्सा कराय पर लगा	प्रमुख / उप महाप्रबंधक (
		का एवं प्र)		
		प्रधान		
	(" 0 0 "	कार्यालय में	0.	<u> </u>
8.	कार्यालयों की गाड़ियों		उपलब्ध नहीं	
	की नियमित देखरेख			रु. 50,000
	तथा मरम्मत	प्रमुख / उप		तक
		महाप्रबंधक (
		का एवं प्र)		
		प्रधान		
		कार्यालय में		

	(× 0 0 × 1	``		4.	
9.	कार्यालयों की गाड़ियों		उपलब्ध नहा	पूर्ण आधकार	
	तथा अन्य	कार्यालयों के			
	परिसंपत्तियों का	प्रमुख /			
	रजिस्ट्रेशन / बीमा /	उपमहाप्रबंधक			
	टैक्स	(का एवं प्र)			
		प्रधान			
		कार्यालय में			
10.	नियमित टैक्सों की	क्षेत्रीय	उपलब्ध नहीं	पूर्ण अधिकार	
	अदायगी	कार्यालयों के			
		प्रमुख / उप			
		महाप्रबंधक (
		वेतन तथा			
		लेखा) प्रधान			
		कार्यालय में			
11.	निगमित खातिरदारी	निदेशक	हर मामले	हर मामले में	वार्षिक
	का खर्च	वित्त	में रु.	रु. 10,000	सीमा में
			5,000 तक	तक पूर्ण	बढोत्तरी के
				अधिकार किंत्	
				पूरे साल में रु.	प्रबंध
				1,00,000 社	
				अधिक नहीं.	अनुमति
		10000000000000000000000000000000000000	50,000 से		आवश्यक
			अधिक नहीं.		
		क्षेत्रीय		हर मामले में	
		कार्यालय		₹. 10,000	
		प्रमुख		तक पूर्ण	
		(दिल्ली)		अधिकार किंतु	
		(19((1))		पूरे साल में रु.	
				1,00,000 社	
				अधिक नहीं.	
		क्षेत्रीय	उपलब्ध नहीं	हर मामले में	
		कार्यालय	3 1(1-4 -1(1)	रु. 5,000 तक	
				पूर्ण अधिकार	
		प्रमुख		,,	
				किंतु पूरे साल	

		(दिल्ली के		में रु. 50,000	
		अतिरिक्त)		से अधिक	
				नहीं.	
12.	कानूनी खर्चेकेस	क्षेत्रीय	उपलब्ध नहीं	पूर्ण अधिकार	
	दायर करने का खर्च,	कार्यालयों के			
	संवैधानिक नोटिसों का	प्रमुख			
	प्रकाशन, कोर्ट फीस,	3			
	स्टैप पेपर वगैरह				
	खरीदना, अनुमोदित				
	शर्ती के अनुकूल				
	अधिवक्ता की फीस				
	जानपनता का कार्	कंपनी का	उपलब्ध नहीं	वित्त निदेशक	
		प्रबंधक	1010 0001	की अनुमति से	
				पूर्ण अधिकार	
10		(कानूनी)		'''	
13.	आवासिक / गैर		उपलब्ध नहा		
	आवासिक इमारतों के			द्वारा अनुमति	
	लीज अनुबंध पर		0.	दिये जाने पर	
	हस्ताक्षर	3प	उपलब्ध नहीं	पूर्ण अधिकार	
		महाप्रबंधक /			
		क्षेत्रीय			
		कार्यालय			
		3 प	उपलब्ध नहीं		
		महाप्रबंधक /			
		मुख्य			, A
		कार्यालय /	,		
		मुंबई			
14	कमिटी की संस्तुति		उपलब्ध नहीं	पूर्ण अधिकार	
	पर स्क्रैप और रद्दी				
	माल की निकासी	प्रमुख /			
		उपमहाप्रबंधक			
		(का एवं प्र)			
		प्रधान			
		कार्यालय में			
		प्रापालय म			

		_ 1	-:		0 0	
15.	सीमित /		प्रबंध		नियत सीमा	खुली
	निविदाएं	आमंत्रित	निदेशक	में रु. दो	9	निविदा रु.
	तथा स्वीकृत	करना		लाख तक,	पूर्ण अधिकार	5 करोड़,
				कार्यकारी	निदेशक ं	सीमित
				निदेशक	(वित्त) की	निविदा 2
				(वित्त) की	सलाह से	करोड़,
				सलाह से		निविदा
						संबंधी दिशा
						निर्देशों के
						अनुसार
						प्रोसेस की
						जाएं
16.	निविदा आमं	त्रित किये	प्रबंध	पूर्ण	पूर्ण अधिकार	निविदा
	बगैर कार्य	आबंटित	निदेशक	अधिकार हर	हर मामले में	
	करना			मामले में	रु. 10,00,000	निर्देशों के
				₹. 50,000	तक	अनुसार
				तक		प्रोसेस की
						जाएं
17.	सलाहकारों	की	प्रबंध	पूर्ण	पूर्ण अधिकार	यदि
	नियुक्ति		निदेशक	अधिकार	हर मामले में	
	3				रु. 50 लाख	की नियुक्ति
					तक	मासिक
						प्रतिधारण
						(रिटेनरशिप)
						के आधार
						पर की
						जानी है तो
				1		सीमा
						वार्षिक
						भुगतान के
						आधार पर
						नियत
						होगी.
						Ci iii